



SU/FIN/F-3/2018/99/Vol-I/77/

दिनांक: 16.08.2019

परिपत्र - 34/2019

विषय : परीक्षा विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय में परीक्षा से संबंधित शुल्कों का भुगतान

यह संबद्ध महाविद्यालयों के सभी छात्रों, विश्वविद्यालय के विभागीय छात्रों और संबंधित शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रभारी तथा संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों के सूचनार्थ है कि पहले सिक्किम विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय से मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वित्त विभाग में डिग्री प्रमाणपत्र, प्रवासन प्रमाणपत्र, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए, प्रतिलिपि अंकपत्र, प्रतिलिपि प्रमाणपत्र शुल्क, दीक्षांत समारोह शुल्क आदि जैसे शुल्कों का भुगतान वित्त विभाग में किए जाने की प्रथा थी।

सिक्किम विश्वविद्यालय ने सिक्किम विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा विभाग में ईटीसी/पीओएस मशीन स्थापित की है, ताकि वे सीधे परीक्षा विभाग में अपने क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का उपयोग करके शुल्कों का भुगतान कर सकें और वित्त विभाग में आने से बच सकें।

अतः विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रभारी तथा सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से निवेदन है कि तदनुसार वे छात्रों को सूचित करें।

परीक्षा विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय में ईटीसी/पीओएस मशीन के माध्यम से ऐसे शुल्कों के भुगतान की यह व्यवस्था दिनांक 22 अगस्त 2019 से प्रभावी होगी।

[यह परिपत्र दिनांक 08.08.2019 को माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी है।]

देवाशीष पाल

(देवाशीष पाल)

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. पुस्तकालयाध्यक्ष
5. परीक्षा नियंत्रक के निजी सचिव
6. श्री सोनम वांगचुक, सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
7. सभी विद्यापीठों के डीन
8. डॉ. लक्ष्मण शर्मा, छात्र कल्याण डीन
9. विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी, विभाग के संबंधित एमफिल/पीएचडी और यूजी/पीजी छात्रों को सूचित करने हेतु
10. सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, महाविद्यालय के यूजी छात्रों को सूचित करने हेतु
11. अध्यक्ष, सूसा
12. सिस्टम एनालिस्ट - विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
13. श्री अरुण के. थापा, यूडीसी (वित्त)
14. सभी सूचना पट
15. सुरक्षा फाइल